



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 19 जून, 2021

ज्येष्ठ 29, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 495 / ग्यारह-2-21-9(42)-17-उ०प्र० जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश(183)-2021

लखनऊ, 19 जून, 2021

अधिसूचना

प०आ०-141

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पचासवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पचासवाँ संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम 2021 कही जायेगी। और प्रारम्भ

(2) यह नियमावली दिनांक 27 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में नियम 26 में उपनियम (1) में, नियम 26 का तीसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :- संशोधन

“परंतु यह भी कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को दिनांक 27 अप्रैल, 2021 से दिनांक 31 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के अधीन प्रपत्र जी०एस०टी०आर०-3ख में विवरणी को तथा धारा 37 के अधीन प्रपत्र जी०एस०टी०आर०-1 में जावक पूर्तियों के ब्योरे को प्रस्तुत करने या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ई० वी० सी०) के माध्यम से सत्यापित बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग किये जाने की भी अनुज्ञा दी जाती है।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 495/XI-2-21-9(42)-17-U.P. G.S.T. Rules-2017-Order(183)-2021, dated June 19, 2021:

No. . 495/XI-2-21-9(42)-17-U.P. G.S.T. Rules-2017-Order(183)-2021

Dated Lucknow, June 19, 2021

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no.1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (FIFTIETH AMENDMENT) RULES,
2021

Short title and
commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fiftieth Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force from 27st April, 2021.

Amendment
of rule 26

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 in rule 26 in sub-rule (1), *after* the third proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :-

"Provided also that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (Act no. 18 of 2013) shall , during the period from the 27th day of April, 2021 to the 31st day of May, 2021, also be allowed to furnish the return under section 39 in FORM GSTR-3B and the details of out ward supplies under section 37 in FORM GSTR-1 or using invoice furnishing facility, verified through electronic verification code (EVC)

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.